XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यू 3543–तीन/14 जिला – सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.12.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2052–दो/14 में दिनांक 7–7–14 को दिए गए स्थगन आदेश के प्रभावी रहते तहसीलदार ने एस.डी.ओ. के पत्र दिनांक 4–9–14 के आधार पर दिनांक 4–9–14 को ही प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक का नाम हटाकर पूर्व भूमिस्वामी का नाम दर्ज करने के कारण उनका आदेश निरस्त किया गया था । आवेदक का यह तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7.7.14 को दिया गया स्थगन आदेश दिनांक 15.10.14 के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया है इस कारण आलोच्य आदेश निरस्त किया जाये, मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी रहते तहसीलदार को किसी प्रकार की कार्यवाही की अधिकारिता नहीं रह जाती है । आलोच्य आदेश प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करते एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में पारित किया गया है, जो उचित है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रथमदृष्टया नहीं है । परिणामतः यह पुनरावलोकन आवेदन अग्राह्य किया जाता है । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

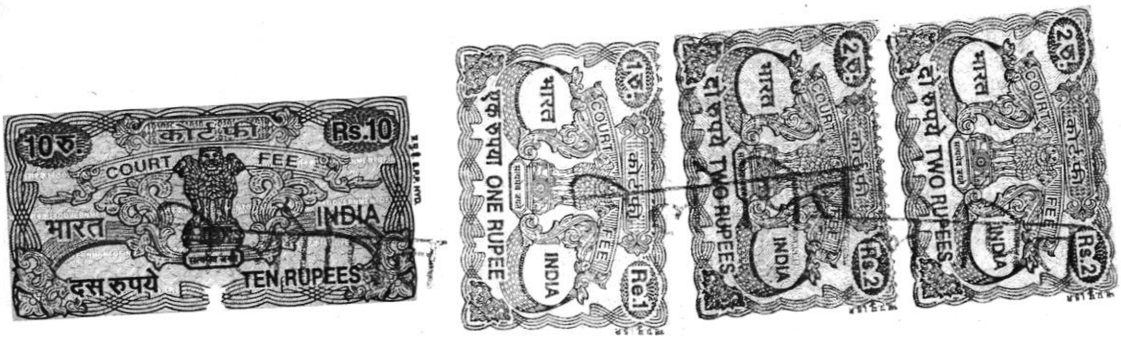

रिव 3543-III/14

17-10-14

महेश जैन तनय मदनलाल जैन निवासी पुराना पावर हाउस चौक सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म0प्र0)

---आवेदक/गैर निगराकार/पुर्नविलोकनकर्ता

बनाम

बनवारीलाल मीणा तनय रामनारायण मीणा निवासी मुख्त्यारगंज सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0----------------**निगराकार**

म0प्र0शासन--**अनावेदक**